अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर (जोन उत्तर)
राजस्थान सरकार

क्रमांक: LU2012/ADA/2025-26/101598 दिनांक: 06/06/2025

विषय: – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री **HAPPY REALEARTH LLP AUTHORIZED SIGNATORY ROOPCHAND DIYA** पुत्र श्री **S/O SHIVRAJ** जाति **JAT** निवासी **40 SHREEJI ENCLAVE JAIRAMPURA ROAD NEENDER JAIPUR RAJASTHAN**

1. ऊपर नामित आवदेक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	घूघरा , अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP	1058	12100	1.21
				कुल	**1.21**

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की –मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

3. यह कि मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजो/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अत: अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियो को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमो या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **06-06-2025** को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन उत्तर)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

Signature valid
Digitally Signed by
SURYAKANT308.REV
Designation : DC/ AO
Date: 2025.06.06 19:10:23 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

अविप्रा

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल लेन, सिविल लाईन्स, अजमेर

Web Site – ada.rajasthan.gov.in
Tel. No. – 0145-26277748, 2627749
E-Mail – ajmerada@gmail.com

International Year of Cooperatives 2025

क्रमांकः अ.वि.प्रा./प.3/नियोजन शाखा/2025–26/ M 1204 /1004 **दिनांकः** 29-08-2025

निमित्तः–

मैसर्स हैप्पी रियल अर्थ एल.एल.पी जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
श्री रूपचन्द डिया पुत्र श्री शिवराज
निवासीः– 40, श्रीजी एन्क्लैव, जयरामपुरा रोड,निदड़,
जयपुर।

विषयः– राजस्व ग्राम **घुघरा** के खसरा संख्या **1058** रकबा **12100.00** व.मी. भूमि का आवासीय योजना के तहत ले–आउट प्लान स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा राजस्व ग्राम **घुघरा** के खसरा संख्या **1058** रकबा **12100.00** व.मी. भूमि हेतु प्रस्तुत आवासीय योजना मानचित्र को भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 09/2025वीं बैठक दिनांक 13.08.2025 में प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त ले–आउट के क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तों की पूर्ण पालना किया जाना अनिवार्य होगा :–

1. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में कोई निर्माण नही होने की सुनिश्चितता उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावेगी।
2. अनुमोदित मानचित्रानुसार मौके पर सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि के डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी के स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान संबंधित अग्रिम कार्यवाही प्रार्थी द्वारा की जावें।
3. आवेदित भूमि का क्रियान्वयन, स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा एवं टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानो की सुनिश्चितत आवेदक द्वारा सम्पूर्ण रूप से किया जाना अनिवार्य होगा।
4. योजना के भूखण्डों पर सैटबैक व अन्य मानदण्ड भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन के प्रावधानानुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
5. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यंत्र सडक के सहारें शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चिता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावेगा।
6. यदि योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम है, तो भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Elevated Service Reservior का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियान्त्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
7. योजना में सृजित भूखण्डों का पट्टा विलेख हेतु आवेदन से पूर्व समस्त बकाया राशि (यदि कोई देय हो) प्राधिकरण कोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत योजना मानचित्र प्राप्त होने के पश्चात रेरा रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य होगा व रेरा रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही पट्टा विलेख जारी किये जावेगे। इसी क्रम में योजना में सृजित भूखण्डो के स्थल मानचित्रों में रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
9. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधान अनुसार कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु पट्टो के आवेदन से पूर्व शपथ पत्र मय भूखण्डों की सूची कार्यलय में प्रेषित की जानी होगी।
10. योजना मानचित्र में केवल तकनीकी अनुमोदन दिया जा रहा है, जिसे स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं माने जावे।
11. उक्त प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, बाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होगी। इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे की प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है तथा किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित नही है, इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
12. प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा कोई गलत कथन अथवा सारवान तथ्य छुपाया जाना सिद्ध पाया जाये तो उक्त स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जावेगी।

स्वीकृत ले–आउट प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

(महेन्द्र चौधरी)
निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

क्रमांक : अविप्रा./प.3/नियोजन शाखा/2025–26/ 1005–1006 **दिनांक** : 29-08-2025

प्रतिलिपिः–

1. उपायुक्त (उत्तर,) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. रक्षित पत्रावली के साथ ले–आउट प्लान की एक प्रति संलग्न कर ड्राईंग रिकॉर्ड में संधारण हेतु।

Signature valid
Digitally signed by Mahender Chaudhary निदेशक आयोजना
Designation: Director Planning अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
Date: 2025.08.29 17:04:36 IST
Reason: Approved

PROPOSED LAY OUT PLAN OF

"SWARNABHOOMI PHASE-II"

AT VILLAGE - GHOOGHRA, TEH.- AJMER, DIST.- AJMER.
RERA NO. : RAJ/P/2025/4209

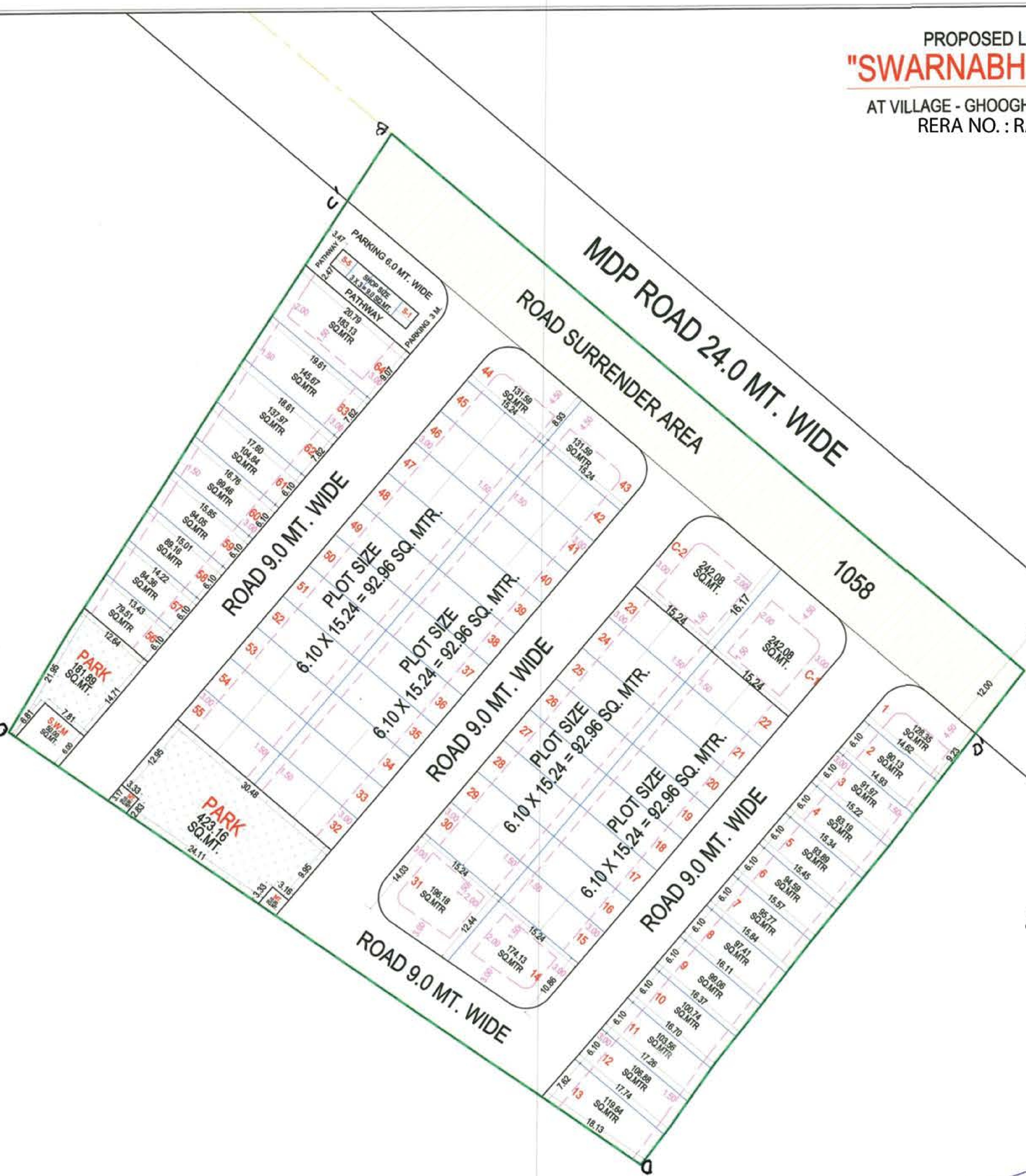
MDP ROAD 24.0 MT. WIDE
ROAD SURRENDER AREA
1058
ROAD 9.0 MT. WIDE
ROAD 9.0 MT. WIDE
ROAD 9.0 MT. WIDE
ROAD 9.0 MT. WIDE
PLOT SIZE 6.10 X 15.24 = 92.96 SQ. MTR.
PLOT SIZE 6.10 X 15.24 = 92.96 SQ. MTR.
PLOT SIZE 6.10 X 15.24 = 92.96 SQ. MTR.
PLOT SIZE 6.10 X 15.24 = 92.96 SQ. MTR.
PARKING 6.0 MT. WIDE
PATHWAY
PARKING 3 M.
PARK 181.89 SQ.MT.
PARK 423.16 SQ.MT.
S.W.M.
C-1 242.08 SQ.MT.
C-2 242.08 SQ.MT.
12.00
A
B
C
D
C'
D'

एजेण्डा नोट सं. 04(राजकाज संख्या :: 7710864)(09/2025वीं बैठक दिनांक 13.08.2025)एम–1204:– जोन– उत्तर

1.	आयोजना शाखा मे प्राप्ति दिनांक	17.06.2025
2.	आवेदक का नाम	मैसर्स हैप्पी रियल अर्थ एलएलपी जरिये अधिकृत सिगनेट्री श्री रूपचन्द डिया पुत्र श्री शिवराज
3.	राजस्व ग्राम	घुघरा (जोन–उत्तर)
4.	खसरा संख्या	1058
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	12100.00 व.मी.

निर्णय:– समिति द्वारा प्रकरण मे एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण मे सर्वसम्मति से आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान को निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि हेतु स्थित सडक का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 24 मीटर रखे जाने हेतु वर्तमान सड़क मध्य से 12 मी. दूरी तक आवेदित भूमि मे से भूमि आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
2. आयोजना शाखा स्तर से आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान में टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों का समावेश करते हुए संशोधित ले–आउट प्लान को जारी किए जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
3. प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, उंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम 2020 अथवा प्रचलित भवन विनियम के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अविप्रा से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है. से कम क्षेत्रफल की योजना मे नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. आवेदित भूमि के मानचित्र/ले–आउट प्लान पर नियमानुसार सेटबैक का अंकन करते हुए जारी किए जाने की सुनिश्चितता की जावें। अन्य उपयोगों की तरफ प्रस्तावित पार्क व खुला क्षेत्र की भूमि मे पार्क डिजाइन के तहत 03 मीटर आन्तरिक पाथ–वे (Walk-Way) दर्शाया जावें।
6. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 व उक्त के क्रम मे समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार आवश्यक शुल्क एवम् नियमों की पालना की सुनिश्चितता जोन/आवेदक द्वारा की जावें।
7. प्रस्तावित योजना/एकल भूखण्ड का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार क्षेत्रफल को मौके पर उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल से मिलान की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
8. रेरा अधिनियम–2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध मे समय–समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) मे पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। उक्त की सुनिश्चितता प्रार्थी स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से संबधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे की प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है तथा किसी न्यायालय मे कोई वाद लंबित नही है इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

(स)–आवेदन क्रमांक 101398
दिनांक.............. मैं श्रीमान उपायुक्त महोदय (जोन उत्तर)
के आदेश दिनांक 6/6/25 की पालना में राजस्व ग्राम घुघरा
के खसरा नम्बर 1058 क्षेत्रफल 1.21 हैक्टर के प्रस्तुत
ले–आउट प्लान को पटवारी हल्का घुघरा द्वारा जारी
प्रमाणित नक्शा P-35 क्रमांक 2911 दिनांक 30/5/25 से
मिलान कर सीमाओं को लाल स्याही से मार्क A से D
किया जाकर सुपरइम्पोज/भौतिक सत्यापन किया गया ।

दिनांक 22/8/25 तहसीलदार/गिरदावर/प्रभारी भू–अभिलेख
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

NOTE:- 1. CC'DD' :- LAY OUT PLAN TO BE ISSUED OF THE LAND AREA 10602.06 SQ. MTRS.

2. ABC'D' :- LAND AREA 1497.95 SQ. MTRS IS TO BE SURRENDERED FOR ROAD.

3. ALL DIMENSIONS ARE SHOWN IN METERS.

25/8/25
सहायक नगर नियोजक
अ.वि.प्रा., अजमेर

26/8/25
निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा., अजमेर

उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण

For HAPPY REALEARTH LLP
Authorised Signatory

LOCATION MAP

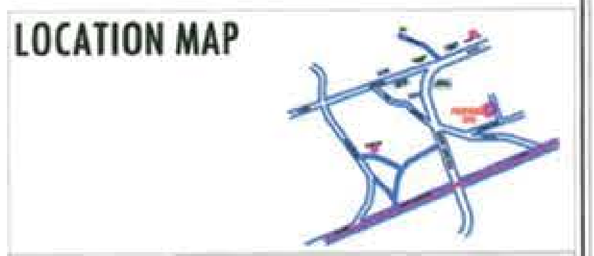

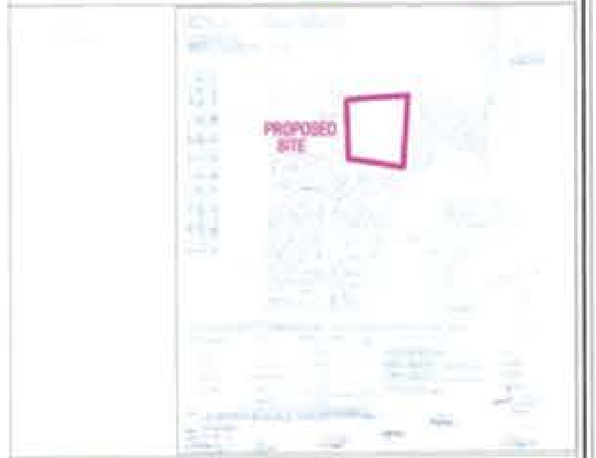
PROPOSED SITE

MASTER MAP

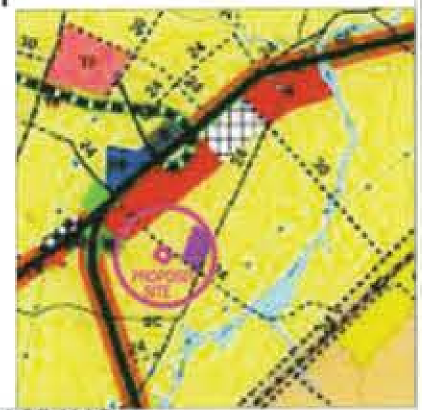
PROPOSED SITE

GOOGLE IMAGE MAP

अ.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र

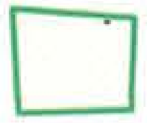

दिशा सुचक

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	6499.83	53.72 %
2.	COMM.	484.17	04.00 %
3.	RETAIL	242.31	02.00 %
TOTAL = 1 TO 3		7226.31	59.72 %
4.	PARK	605.05	05.00 %
5.	S.W.M.	50.00	0.41 %
6.	MOBILE TOWER	20.00	0.17 %
7.	MDP ROAD 24 M.	1497.94	12.38 %
8.	ROAD	2700.70	22.32 %
TOTAL = 4 TO 8		4873.69	40.28 %
SCHEME AREA		12100.00	100.00 %
		01.210 HECT.	

योजना का नाम:- PROPOSED LAY OUT PLAN OF "SWARNABHOOMI PHASE-II"
IN KHASRA NO.:- 1058.
AT VILLAGE - GHOOGHRA, TEH.- AJMER, DIST.- AJMER.

जोन संख्या =

पैमाना :- 1:500

अजमेर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT :-
Cad Max
PROJECTS (P) LTD.

PROPOSED LAY OUT PLAN OF

"SWARNABHOOMI PHASE-II"

AT VILLAGE - GHOOGHRA, TEH.- AJMER, DIST.- AJMER.

RERA No. RAJ/P/2025/4209

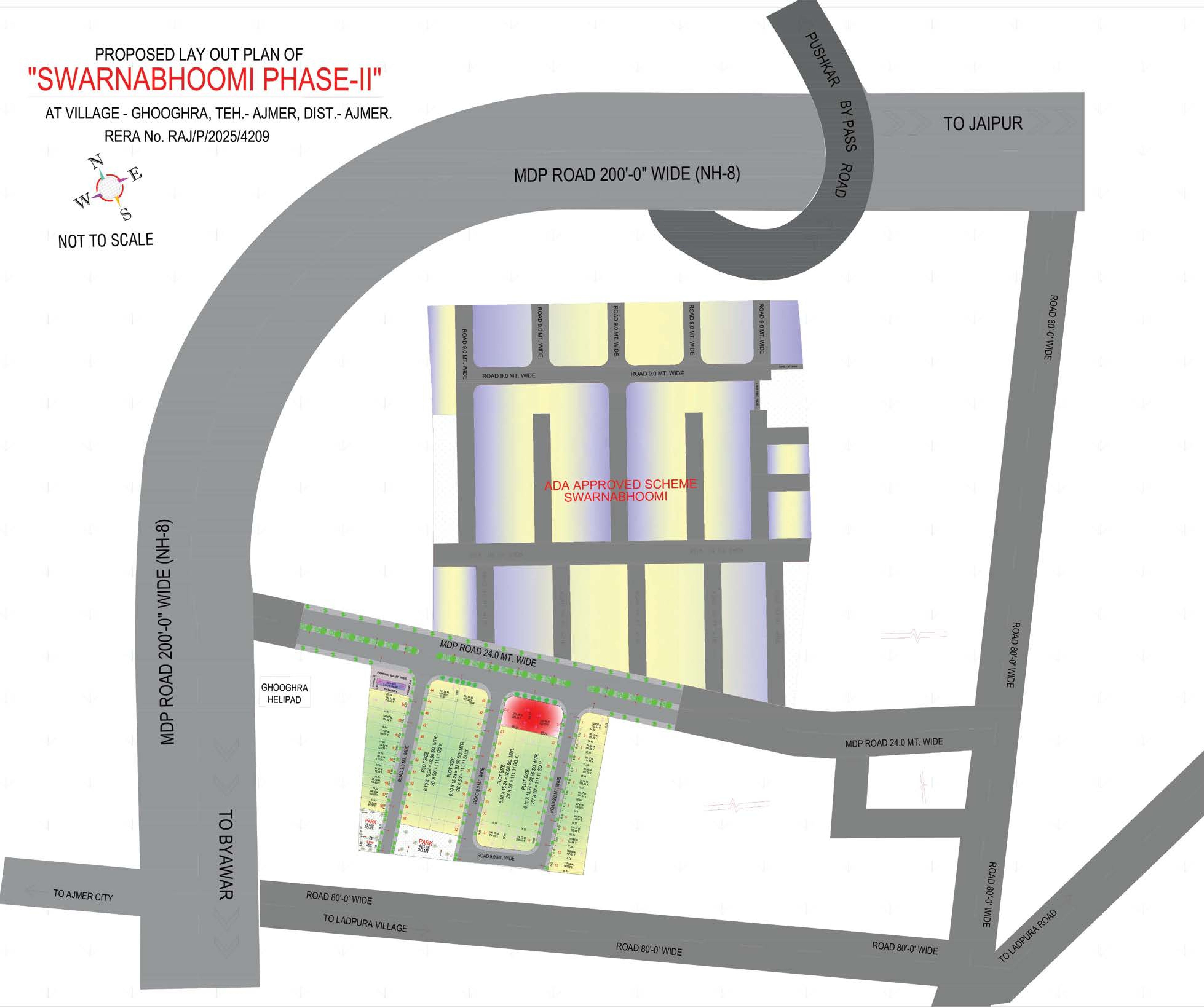
N
E
S
W
NOT TO SCALE
PUSHKAR BY PASS ROAD
TO JAIPUR
MDP ROAD 200'-0" WIDE (NH-8)
ROAD 80'-0" WIDE
ROAD 9.0 MT. WIDE
ADA APPROVED SCHEME SWARNABHOOMI
MDP ROAD 24.0 MT. WIDE
GHOOGHRA HELIPAD
PLOT SIZE 6.10 X 15.24 = 92.96 SQ. MTR. 20' X 50' = 111.11 SQ.Y.
PARK 423.16 SQ.MT.
PARK 161.86 SQ.MT.
TO BYAWAR
TO AJMER CITY
ROAD 80'-0' WIDE
TO LADPURA VILLAGE
TO LADPURA ROAD

Rajasthan RERA

Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, Jaipur
2nd & 3rd Floor, RSIC Wing, Udyog Bhawan,
Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Phone No.: 0141-2851900 Website : http://rera.rajasthan.gov.in

REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

This Certificate of registration is hereby granted under Section 5 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 to the following project:-

1. Project registration number: RAJ/P/2025/4209

2. Details of Project: SWARNABHOOMI PHASE- II, at 1058, Ghooghra, Ajmer, Ajmer, Rajasthan, 305023

3. Details of promoter: Name of the firm/society/company/competent authority HAPPY REALEARTH LLP having its office address at 40, JAIRAMPURA ROAD, null, Amber, Jaipur, 302013, Rajasthan,

4. This registration is granted subject to the following condition's, namely:-

    i. The promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees as provided in Form-G;

    ii. The promoter shall execute and register a conveyance deed in favor of the allottee for the Unit. Simultaneously he shall also execute and register the conveyance deed for the undivided proportionate title in the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, as per Section 17 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016;

    iii. The promoter shall deposit seventy percent of the amounts realized by the promoter in a separate, account to be maintained in a schedule bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per subclause(D) of clause(1) of sub - Section(2) of Section 4 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016

    iv. The registration shall valid up to **15-02-2027** (Estimated Finish Date) unless extended by the Real Estate Regulatory Authority in accordance with Section 6 of the Real Estate (Regulation and Development) Act,2016 read with rule 7 of the Rajasthan Real Estate(Regulation and Development) Rules,2017;

    v. The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and regulations made there under;

    vi. The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force in the area where the project is being developed.

5. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the Authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted here in.

6. If Applicable, it is the responsibility of the promoter to obtain the necessary extension of the time period indicated in Form-B regarding 'Date of Completion'.

This bears approval of Chairman, Rajasthan Real Estate Regulatory Authority (RERA)

Signature valid ✓
Digitally signed by Raji[illegible] Jain
Date: 2025.09.19 15:[illegible]5:32 IST
Reason: SelfAttested

AJMER ZONAL PLAN

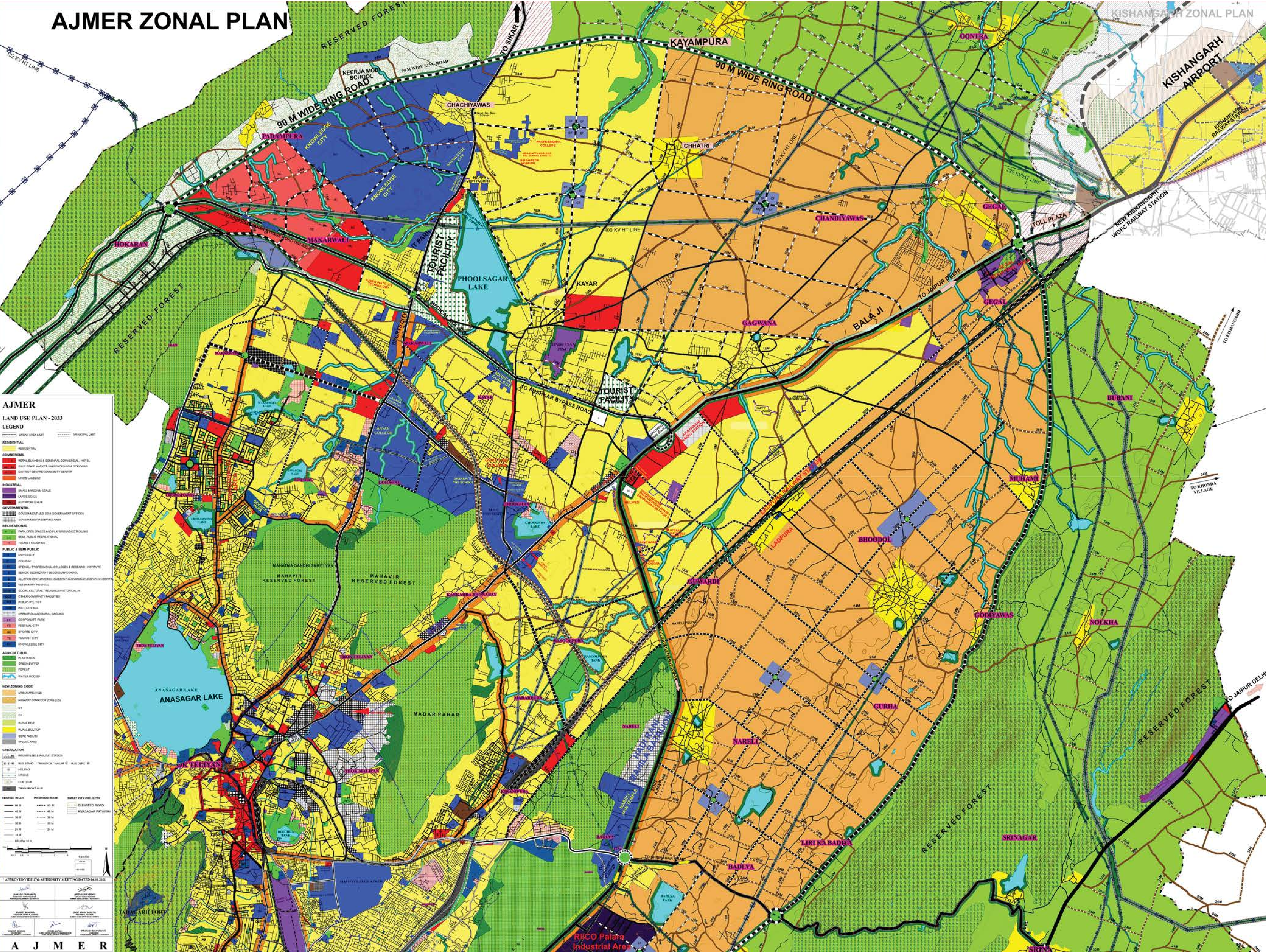
KISHANGARH ZONAL PLAN
RESERVED FOREST
TO SIKAR
KAYAMPURA
90 M WIDE RING ROAD
NEERJA MODI SCHOOL
DONTRA
KISHANGARH AIRPORT
KISHANGARH RAILWAY STATION
TO KISHANGARH
220 KV HT LINE
NEW KISHANGARH WDFC RAILWAY STATION
TOLL PLAZA
CHACHIYAWAS
CHHATRI
PADAMPURA
KNOWLEDGE CITY
PROFESSIONAL COLLEGE
CHANDIYAWAS
GEGAL
HOKARAN
MAKARWALI
TOURIST FACILITY
PHOOLSAGAR LAKE
400 KV HT LINE
KAYAR
BALA JI
TO JAIPUR DELHI
GAGWANA
HINDUSTAN ZINC
TO PUSHKAR BYPASS ROAD
ARYAN COLLEGE
BUBANI
TO KISHANGARH
MUHAMI
TO KHONDA VILLAGE
LOHAGAL
GHOOGHRA LAKE
LADPURA
BHOODOL
MAHATMA GANDHI SMRITI VAN
MAHAVIR RESERVED FOREST
KANKARDA BHOONABAY
GUWARDI
GODIYAWAS
NOLKHA
THOK TELIYAN
ANASAGAR LAKE
MADAR PAHAR
GURHA
NARELI
TO JAIPUR DELHI
RESERVED FOREST
LIRI KA BADIYA
SRINAGAR
BADLYA
BADLYA TANK
TO SHRINAGAR ROAD
RIICO Palara Industrial Area
TARAGARH FORT
AJMER
LAND USE PLAN - 2033
LEGEND
URBAN AREA LIMIT
MUNICIPAL LIMIT
RESIDENTIAL
RESIDENTIAL
COMMERCIAL
RETAIL BUSINESS & GENERAL COMMERCIAL / HOTEL
WHOLESALE MARKET / WAREHOUSING & GODOWNS
DISTRICT CENTRE/COMMUNITY CENTER
MIXED LANDUSE
INDUSTRIAL
SMALL & MEDIUM SCALE
LARGE SCALE
AUTOMOBILE HUB
GOVERNMENTAL
GOVERNMENT AND SEMI-GOVERNMENT OFFICES
GOVERNMENT RESERVED AREA
RECREATIONAL
PARK, OPEN SPACES AND PLAYGROUNDS/STADIUMS
SEMI -PUBLIC RECREATIONAL
TOURIST FACILITIES
PUBLIC & SEMI-PUBLIC
UNIVERSITY
COLLEGE
SPECIAL / PROFESSIONAL COLLEGES & RESEARCH INSTITUTE
SENIOR SECONDARY / SECONDARY SCHOOL
VETERINARY HOSPITAL
SOCIAL CULTURAL / RELIGIOUS/HISTORICAL
OTHER COMMUNITY FACILITIES
PUBLIC UTILITIES
INSTITUTIONAL
CREMATION AND BURIAL GROUND
CORPORATE PARK
FESTIVAL CITY
SPORTS CITY
TOURIST CITY
KNOWLEDGE CITY
AGRICULTURAL
PLANTATION
GREEN BUFFER
FOREST
WATER BODIES
NEW ZONING CODE
URBAN AREA (UZ)
HIGHWAY CORRIDOR ZONE (US)
G1
G2
RURAL BELT
RURAL BUILT UP
CORE FACILITY
SPECIAL AREA
CIRCULATION
RAILWAYLINE & RAILWAY STATION
BUS STAND / TRANSPORT NAGAR / BUS DEPO
HELIPAD
HT LINE
CONTOUR
TRANSPORT HUB
EXISTING ROAD
PROPOSED ROAD
SMART CITY PROJECTS
ELEVATED ROAD
ANASAGAR PATHWAY
60 M
45 M
36 M
30 M
24 M
18 M
BELOW 18 M
1:45,000
N
* APPROVED VIDE 17th AUTHORITY MEETING DATED 04.01.2021
A J M E R